



मुख्यालय "गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
 46वीं, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून, Website : www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक - यूईपीसीबी/एचओ /Noc-7352 / 20 / 1072

दिनांक : 05.11.2020

**पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना**

पर्यावरण स्वीकृति हेतु निम्न प्रस्तावकों के द्वारा लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ई. अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्रविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :-

1. जिलाधिकारी, जनपद, बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।
3. परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अगिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून, मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46वीं, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 'आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर के कार्यालय में उपलब्ध हैं जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति समग्र व स्थान निम्नानुसार की गयी है:-

**इकाई का नाम**

श्री संदीप शाह, पुत्र श्री भवानी दास शाह, निवासी-बागनाथ वार्ड, चौक बाजार, जिला-बागेश्वर। (क्षेत्रफल-16.769 हे० में 43256 टन प्रतिवर्ष)	लोक सुनवाई की तिथि	लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल	समय
श्री संदीप शाह, पुत्र श्री भवानी दास शाह, निवासी-बागनाथ वार्ड, चौक बाजार, जिला-बागेश्वर। (क्षेत्रफल-16.769 हे० में 43256 टन प्रतिवर्ष)	14.12.2020	परियोजना स्थल	पूर्वाह्न 11:00 बजे
मै० भारत सिंह भाकुनी पुत्र श्री आनन्द सिंह भाकुनी, तहसील रोड, जिला-बागेश्वर। (क्षेत्रफल-4.944 हे० में 47782 टन प्रतिवर्ष)	11.12.2020	परियोजना स्थल	पूर्वाह्न 11:00 बजे
मै० श्री गणेश नैनवाल, ग्राम-पगना, जिला-बागेश्वर। (क्षेत्रफल-12.418 हे० में 26330 टन प्रतिवर्ष)	16.12.2020	परियोजना स्थल	पूर्वाह्न 11:00 बजे

उक्त लोक सुनवाई को डिजिटल सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवॉश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बंध में अपने मौखिक, लिखित सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (वैनीताल) में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञान प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं। अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

**सदस्य सचिव**

अमल उपायिका-देहरादून  
 - 7/11/2020

1	जनपद हरिद्वार में बहादुरा नहर के निर्माण की योजना (सं. 364/2017) (रीच 0.0)
2	जनपद हरिद्वार में बहादुरा नहर के निर्माण की योजना (सं. 364/2017) (रीच 0.4)
3	जनपद हरिद्वार में बहादुरा नहर के निर्माण की योजना (सं. 364/2017) (रीच 0.81)
4	नाबार्ड के अन्तर्गत विकासखण्ड में बायीं खेत योजना (मा. मुख्य मंत्री सं. 0.000 कि.मी. से 0.800 कि.मी.)
5	नाबार्ड के अन्तर्गत विकासखण्ड में एकड़ लाइ (मा. मुख्य मंत्री घोषणा सं. कि.मी. से 0.850 कि.मी.)
6	नाबार्ड के अन्तर्गत विकासखण्ड में एकड़ लाइ (मा. मुख्य मंत्री घोषणा सं. कि.मी. से 1.550 कि.मी.)
7	नाबार्ड के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में एकड़ लाइ नहर के निर्माण की योजना (सं. 365/2017) (रीच 1.55)
8	नाबार्ड के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में एकड़ लाइ (मा. मुख्य मंत्री घोषणा सं. कि.मी. से 2.610 कि.मी.)

ई-निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जा रही है।  
 ई-निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जा रही है।  
 निविदाओं से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी के लिये लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।  
 पत्रांक 13801 दि. 6/11/20